

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

जीवसीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए. 1955

प्रकरण संख्या:- 147/2025

- 1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड 5, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज0)
- 2 फतेह सिंह गिल पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी मकान नम्बर एन-583, होम लैण्ड सिटी, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)

-:वादीगण

बनाम

- 1 प्रकाश कौर पत्नी श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी पी-22, कुंच विहार, पदमपुर रोड, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
- 2 मेजर सिंह गिल पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी पी-22, कुंच विहार, पदमपुर रोड, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज0)
- 3 सतवीर सिंह पुत्र श्री मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 15, धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 4 नन्दराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ
- 5 पतराम उर्फ फताराम पुत्र श्री रामरख जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 6 सुखदेई पत्नी श्री मानाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ
- 7 हरदयाल सिंह पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
- 8 सरजीत सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
- 9 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे बहाजरी श्री खुशप्रीत सिंह वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री जसपाल सिंह वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 8 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.08.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./3379 दिनांक 24.09.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुना गया। वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि:- वादी सुरेन्द्र सिंह का रकबा- चक 12 एमएमके प.न. 119/197 मु.न. 43 कि.न. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल 3.795 हैक्टेयर। वादी फतेह सिंह का रकबा- चक 12 एमएमके प.न. 119/197 मु.न. 43 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल 2.530 हैक्टेयर। प.न. 119/198 मु.न. 47 कि.न. 4/253,

3

5/253, कुल 3.036 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 प्रकाश कौर, मेजरसिंह सतवीर सिंह ब. हि.ब. का रकबा- चक 12 एमएमके प.न. 120/197 मु.न. 42 कि.न. 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल 2.530 प.न. 120/198 मु.न. 48 कि.न. 1, 2, 9 ता 12/1.518 महाकुल 4.048 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 8 सरजीत सिंह का रकबा- चक 12 एमएमके प.न. 118/197 मु.न. 44 कि.न. 5, 6, 15 कुल 0.795 हैक्टेयर। उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.10.2025 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।


(मांगी लाल) PAs
सहायक कलक्टर
सिलेक्ट
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ